कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 0910106 /वाणिज्य कर/दिनांक:: मार्च::2010
पत्रांक-सी0टी0टी0-न्याय-4-पुनरीक्षण/2009-2010/ /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वाद अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक::मार्च:: 29 ::2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-सी0टी0टी0-न्याय -4-पुनरीक्षण -2009-2010 /0910023/ वाणिज्य कर, दिनांक 22-6-2009 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर किये जा रहे बोगस पुनरीक्षण पर अंकुश लगाने के उददेश्य से निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें राज्य प्रतिनिधि मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विधि समिति का गठन किये जाने एवं विधि समिति की राय के अनुसार पुनरीक्षण दायर करने का विवरण देते हुए निम्न मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख किया गया थां :-

1- मा0 उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण केवल विधिक बिन्दु पर दाखिल किये जा सकते हैं। यदि अधिकरण के निर्णय द्वारा केवल निर्धारित बिक्रयधन में कमी की गयी है अथवा केवल लेखा वहियॉ ही स्वीकार किये जाने का बिन्दु है तो जब तक सबल आधार न हो तब तक पुनरीक्षण की संस्तुति न की जाय। मैनुअल परिपत्र संख्या-न्याय-प्रशा0अधि0/99-2000/577 दिनांक 21-5-99 द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो **प्रस्ताव पुनरीक्षण दायर करने हेतु प्रेषित किया जाय उस पर सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) अपने हाथ से स्पष्ट व पठनीय विधिक बिन्दु अंकित करेगें एवं पुनरीक्षण दायर करने की स्पष्ट संस्तुति करेगे।**

2- यदि व्यापार कर अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में कोई ऐसा तथ्यात्मक विनिश्चय दिया गया है जो अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों से समर्थित न हो तो पुनरीक्षण में निश्चित रुप से तथ्यात्मक विनिश्चय को भी चुनौती दी जानी चाहिए और पहला बिन्दु इसी को बनाया जाना चाहिए।

3- यदि व्यापार कर अधिकरण द्वारा विभागीय द्वितीय अपील में उठाये गये सभी बिन्दुओं पर निर्णय नही दिया गया है और उन कारणो से विभाग का अहित हो रहा हो तो पुनरीक्षण प्रस्ताव में इस बिन्दु पर भी प्रश्न बनाया जाना चाहिए।

परन्तु अब भी यह पाया जा रहा है कि काफी मामलों में बिना विधिक बिन्दु एवं सबल आधार के पुनरीक्षण दायर किया जा रहा है और अत्यन्त अल्प धनराशियों के मामलों में भी पुनरीक्षण दायर किया जा रहा है, जिसके कारण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ द्वारा सेल्स टैक्स पुनरीक्षण संख्या-12/92 वर्ष 78-79 एवं 9/92 वर्ष 80-81 कमिश्नर बिक्रीकर बनाम सर्वश्री राजेश कोल ट्रेडर्स के मामले में अपने निर्णय दिनांक 19-5-09 में आदेश के अन्त में निम्न प्रकार सुझावात्मक टिप्पणी की गयी है :-

" Futher, it may be mentioned that tax effect for both the assessment years under consideration comes to only Rs.20634/- and Rs. 21359/- respectively, The Department might have wasted man power and money to file the present revision. Cost efficiency was never examined by the department. For this meagre tax amounts, the department was supposed not to come before the Court knowing fully well that the corridors of the Courts are flooded with pending litigations. The present revisions have come before me after two decades from the assessment years under considerations. ----------"

अत: मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पुन: स्पष्ट निर्देश दिये जाते है कि मुख्यालय के उपर्युक्त परिपत्र एवं राज्य प्रतिनिधि मैनुअल में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही मा0

उच्च न्यायालय में केवल विधिक बिन्दु होने तथा सबल आधार होने की स्थिति में ही पुनरीक्षण दायर किया जाय।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(उ0न्या0कार्य)/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(उ0न्या0कार्य) लखनऊ द्वारा प्रत्येक तिमाही जोनवार ऐसे मामलों का विवरण अपनी संस्तुति सहित मुख्यालय उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें बिना समुचित आधार के पुनरीक्षण दायर करने की संस्तुति की गयी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

26/3/10

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषि :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ।
2- एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(उ0न्या0कार्य)/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2,(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ को अनुपालनार्थ।
4- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- ज्वाइन्ट कमिश्नर (मैनुअल अनुभाग) वाणिज्य कर, मुख्यालय को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6- समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, उ0 प्र0।
7- सम्बन्धित पटल सहायक को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वाद) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।